Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **बांसवाड़ा में सरपंच पति, ग्राम विकास अधिकारी एवं दलाल को 22 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आरोपियों के आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *06 सितम्बर*। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की बांसवाड़ा इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये शांतिलाल सरपंच पति ग्राम पंचायत शोभावटी, पं.स. कुशलगढ़, श्रीमती ताराकुंवर ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत शोभावटी, पं.स. कुशलगढ़, व दलाल महिपाल प्रजापत (प्राईवेट व्यक्ति) को परिवादी से 22 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की बांसवाड़ा इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी फर्म द्वारा किये गये निर्माण कार्यों के बिलों के भुगतान की एवज में बतौर कमीशन शांतिलाल सरपंच पति ग्राम पंचायत शोभावटी, पं.स. कुशलगढ़, श्रीमती ताराकुंवर ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत शोभावटी, पं.स. कुशलगढ़ द्वारा अपने दलाल महिपाल प्रजापत (प्राईवेट व्यक्ति) के माध्यम से 1 लाख 96 हजार रुपये की रिश्वत मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी की बांसवाड़ा इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री माधोसिंह** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये दलाल महिपाल प्रजापत पुत्र श्री वृद्धीचंद प्रजापत निवासी इन्द्रा कॉलोनी, टिम्बेड़ा बस स्टेण्ड, कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा को परिवादी से 22 हजार रुपये रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया। प्रकरण में शांतिलाल पुत्र श्री नारजी कटारा निवासी शोभावटी, पुलिस थाना पाटन, जिला बांसवाड़ा हाल सरपंच पति ग्राम पंचायत शोभावटी, पं.स. कुशलगढ़ व श्रीमती ताराकुंवर पत्नी श्री भंवरसिंह डामोर, निवासी भैंरूपाड़ा, ग्राम पंचायत परवाड़ा, तहसील थांदला, थाना सवांसा, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत शोभावटी, पं.स. कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा को भी गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपियों के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।